बाखबर बैंक लूट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर में, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डे से 50 किलोमीटर पर, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक का लाकर-कक्ष सोमवार 27 अक्तूबर को लुटा मिला। लाकर मालिकों ने सौ करोड़ के नुकसान का दावा किया जबकि बैंक ने तुरंत बैंकिंग नियमों का हवाला देते हुए क्षतिपूर्ति से पल्ला झाड़ लिया। इसने असुरक्षा के माहौल में अनिश्चितता और उत्तेजना बढाने का काम किया। एक दिन पहले ही राज्य की पहली भाजपा सरकार ने विकास के एजेंडे और कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों के बीच सत्ता की बागडोर संभाली थी। राज्य पुलिस के मुखिया, डी जी पी वशिष्ठ को स्वयं मौके पर आना पड़ा। उन्होंने एक विशेष जांच दल तो बनाया ही, साथ ही सुराग देने पर दस लाख के इनाम की घोषणा भी कर दी। पुलिस को ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ा। तीन दिन में ही अपराधियों की गिरफ्तारी और लूट के माल की बरामदगी का सिलसिला शुरू हो गया। सोनीपत के ही कटवाल गाँव के बेरोजगार नौजवानों ने बगल की बंद पड़ी इमारत से अस्सी फीट लम्बी सुरंग खोदकर इस वारदात को दो रात पहले अंजाम दिया था। उनकी योजना एक अंतराल के बाद जेवरात गलाकर बेचने की थी ताकि खरीदनेवाले सुनारों को स्रोत की भनक न हो, पर पुलिस की फुर्ती ने उस पर पानी फेर दिया। अब तय है कि जहां इन अपराधियों के सालों-साल जेल में गुजरेंगे वहीं लाकर मालिकों का लुटा माल भी उन्हें वापस मिल जाएगा।

गोहाना मामले को इतनी तवज्जो दी गयी थी कि, राज्य का विषय होते हुए भी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ज्वाइंट इंटेलिजेंस चीफ टोह लेने वहां पहुंचे कि कहीं इस लूट के पीछे कोई आतंकी पेंच न हो। भारतीय कानून में बैंक लूटना एक संगीन अपराध है और वयस्क अपराधियों के लिए कोई छूट भी नहीं है। भारतीय जेलों में जैसा वातावरण है, ये दुस्साहसी नौजवान वहां से कहीं अधिक शातिर अपराधी बनकर बाहर आयें तो कोई आश्चर्य नहीं। वैसे हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बुरी तरह बिगड़े बालकों को भी परिवार का समर्थन बना रहता है और यह कभी-कभी उनके सुधरने में सहायक सिद्ध हो जाता है। पर फिलहाल यह सब गौड़ है। समाज को उद्वेलित करनेवाला एक संगीन अपराध सबके सामने था, अपराधी भी तुरंत पकड़े गए, पुलिस सजग सिद्ध हुयी, जनता में नए शासन के प्रति विश्वास बना। आइये इस परिदृश्य की तुलना परिमाण में हजारों गुणा बड़ी बैंक डकैती से कर के देखें, जो देश के वित्तमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर की जानकारी में है, जिसके अपराधियों का पता है पर उन्हें छूट ही छूट है; जिसमें बैंक के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं पर जवाबदेह नहीं; और जिसका मुकदमा भी पुलिस में दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी गयी।

इस तरह की डकैती में बैंक से धन उड़ाने के लिए किसी को गोहाना की तरह सुरंग बनाने की जरूरत नहीं होती। तरीका-वारदात ऐन सबके सामने रहता हैङ्क बैंक कर्ज देता है और वसूली नहीं करता। अपराधी बैंक के इज्जतदार ग्राहक हैं। स्वयं रिजर्व बैंक का मानना है कि 2014 के अंत तक बैंकों से लूटी गयी यह रकम बढ़ते-बढ़ते तमाम भारतीय बैंकों द्वारा कुल दिए कर्ज के पांच प्रतिशत तक जा पहुंचेगी। वह भी कुलक किसानों के पक्ष में कर्ज माफी के समय-समय पर ऐलानों के बीच में। बैंकिंग शब्दावली में इस निरंतर लूट को नॉन पर्फार्मिंग एसेट (एन पी ए) कहते हैं। बैंकों की यह लुटी राशि, उनकी उस कहीं और बड़ी रकम से अलग है जो 'कर्जों के पुनर्गठन' के नाम पर इसी तरह से एन पी ए बनने की पाइपलाइन में है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से लेकर कार्पोरेट जगत के आर्थिक सलाहकारों पर समाज और सरकार को बताने का कार्यभार आयद है, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं, कि विकास की धीमी गति, बढ़ती मुद्रास्फीति, ऊंची ब्याज-दर के चलते ही कर्जदार बैंकों की देनदारी से चूक रहे हैं। यानी एन पी ए का इलाज इस लूट को रोकने में नहीं बल्कि देश की आर्थिक नीतियों को इन ठगों और जोंकों के लिहाज से बदलने, मुख्यत: ब्याज दरों की कटौती करने में है। इस तर्क को यदि गोहाना बैंक-लूट पर लागू करें तो सरकार को चाहिए कि उस मामले में भी अपराधियों को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाकर उन्हें जेल की सजा कराने के बजाय, उनके लिए गरीबी दूर करने, रोजगार पाने और शिक्षण-प्रशिक्षण के प्रबंधन की उचित व्यवस्था करे। बजाय लूटा गया माल उनसे बरामद करने और मालिकों को लौटाने केए पुलिस को यह सुविधा हो कि वह इसे समाज का नॉन पर्फार्मिंग एसेट घोषित कर सके।

भारतीय रिजर्व बैंक हर वर्ष केंद्र सरकार को 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया' शीर्षक से एक वार्षिक मार्गदर्शक रिपोर्ट भेजता है। इसमें बैंकों के एन पी ए और 'कर्जों के पुनर्गठन' का लेखा-जोखा भी शामिल रहता है। 2013 में रघुराम राजन के रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने के बाद इसकी आवृत्ति वर्ष में दो बार कर दी गयी। राजन, यू पी ए सरकार के उन गिने चुने शीर्ष अधिकारियों में से हैं जो अपनी काबिलियत के नाम पर मोदी सरकार के भी विश्वासपात्र बने हुए हैं। वे अपने पूर्ववर्ती सुब्बाराव से कहीं अधिक मुखर भी हैं। इन रिपोर्टों के अलावा, अर्थव्यवस्था के त्रैमासिक आंकलनों एवं कई अन्य अवसरों पर भी उन्होंने तमाम बैंकों को इस विषय में आगाह किया है। उनकी ओर से खतरे की घंटी का स्वर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है कि यदि नब्बे दिन तक ब्याज/कर्ज की किश्त के भुगतान में कोताही हो तो उसे एन पी ए की श्रेणी में रखा जाय। जाहिर है, बार-बार इस चेतावनी की जरूरत इसलिए ही पड़ रही होगी क्योंकि बैंक एन पी ए की वास्तविक तस्वीर पर पर्दा डाल रहे हैं। साथ ही 'कर्जों के पुनर्गठन' के नाम पर भी खासकर कार्पोरेट देनदारियों को लगातार टलने दिया जा रहा है। यानी कर्ज को बट्टे-खाते में पहुंचाकर होनेवाली बैंक लूट वास्तव में पांच प्रतिशत से कहीं अधिक के स्तर पर पहुँच रही होगी। वैसे भी पांच प्रतिशत का आंकड़ा तो स्वयं सम्बन्धित बैंकों का मुहैय्या कराया हुआ है, न कि किसी स्वतंत्र नियामक या निगरानी एजेंसी का दिया हुआ।

बात सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर की निगरानी तक ही नहीं रह जाती है। यू पी ए के वित्तमंत्री चिदंबरम अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का सरकारी लेखा-जोखा सार्वजनिक रूप से मासिक प्रेस कांफ्रेंस में रखते थे। मोदी सरकार के वित्तमंत्री जेटली अपेक्षाकृत और खुले हुए हैं। कोई भी हफ्ता नहीं जाता जब उनकी ओर से आर्थिक परिदृश्य के किसी न किसी पहलू पर कोई न कोई सारगर्भित टिप्पणी न आती हो। चिदंबरम के प्रधानमन्त्री, मनमोहन सिंह, बेशक कम बोलते रहे हों पर स्वयं जाने-माने अर्थशास्त्री थे। जेटली के प्रधानमन्त्री, मोदी, अर्थशास्त्री न सही पर जनता से सीधे 'मन की बात् करने की अपनी महारत के चलते लोगों के आर्थिक सरोकारों को छूना नहीं भूलते। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पार्टी घोषणा-पत्रों में देश की आर्थिक दशा और दिशा की विस्तृत चर्चा की थी। इस वर्ष दो केन्द्रीय बजट पेश किये गए थे- यू पी ए का अंतरिम और मोदी सरकार का नियमित, जिनके गिर्द देश का आर्थिक नजारा सिंहावलोकित हुआ। यह सब होते हुए भी भारत में बैंक लूट बदस्तूर चल रही है और बैंक में पैसा रखनेवालों को खबर भी नहीं। 2008 की मंदी के बीच अमेरिका वाल स्ट्रीट में अचानक रातों-रात 700 बिलियन डालर की मालियती के निवेश बैंक, लेहमन ब्रदर्स के डूब जाने पर खोजी पत्रकार मैट टाइबी की टिप्पणी, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से ज्यादा सटीक है, 'यदि आप न सिर्फ जानना चाहते हैं कि वाल स्ट्रीट की पुलिसिंग क्यों नहीं होती बल्कि क्यों बहुत से लोग मानते हैं कि इसकी पुलिसिंग की ही नहीं जा सकती, आपको बस ध्यानपूर्वक इस केस को देखना होगा। जो आपको दीखता नहीं उसकी पुलिसिंग आप नहीं कर सकते, और अँधेरे में आपको कुछ दीखता नहीं।'

आश्चर्य नहीं, अमेरिकी बैंकों में एन पी ए का उनके दिए कुल कर्ज से अनुपात, भारत से लगभग दो गुणा पहुँच रहा है। वहाँ पर बैंक कर्ज की ब्याज दर बहुत कम होने के बावजूद, और विकास एवं मुद्रास्फीति के बेहतर माडल होने पर भी। मैट टाइबी से जानने की जरूरत नहीं कि अमेरिका से भारत ने क्या सीखा है-कैसे बड़े बैंक सौदों को कानून और सूचना के उजाले से दूर और गोपनीयता और जालसाजी के अँधेरे में रखा जाय! मनमोहन सिंह, चिदंबरम, जेटली, मोदी, सुब्बाराव और रघुराम राजन के भारत ने! कि कैसे आपराधिक बैंक सौदों से आँख मूंदी जाय, और उन्हें, मैट टाइबी के शब्दों में, 'कानून के दायरे से बाहर रखा जाय'! गोहाना में पुलिस को पता था कि पंजाब नेशनल बैंक के लाकर कक्ष से गहने और नकदी का गायब होना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संगीन अपराध है। इस लूट को अंजाम देनेवाले, बेशक गरीब और बेरोजगार सही, आज जेल के भागी हैं। जिनकी सम्पत्ति लूटी गयी, वह उन्हें वापस होने की राह पर है। उस कस्बाई शाखा के बैंककर्मियों को समझ थी कि उनके कार्यक्षेत्र में जो घटा है वह अपराध की श्रेणी में आता है, और लुटे उपभोक्ताओं को भी इस मामले में बैंक, पुलिस और शासन की जवाबदेही का पूरा एहसास था। क्या यही स्थिति उस पांच प्रतिशत रकम के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिए जो तमाम बैंकों से उधार के नाम पर लूट ली गयी है? क्या हम जानना नहीं चाहेंगे कि इस पांच प्रतिशत रकम, हजारों करोड़ रुपये, की निगरानी की जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? इस बाखबर लूट को अपराध की संज्ञा दी जायेगी?

- विकास नारायण राय

और कितने भस्मासुर

19 नवम्बर की रात रामपाल की गिरफ्तारी से अनिश्चित त्रासद सम्भावनाओंवाले आश्रम प्रकरण के पटाक्षेप पर सभी को संतोष व्यक्त करना चाहिए। न्यायिक दबाव, पुलिस घेरेबंदी, मानव कवच और मीडिया फोकस के बीच दस दिन तक चला कानून-व्यवस्था का यह खेल बेहद, बेहद खूनी भी सिद्ध हो सकता था। गनीमत है कि खट्टर सरकार और हरियाणा पुलिस के धैर्य के दायरे में ही यह निपट गया। लेकिन छल-पाखण्ड की सीनाजोरी से भरी रामपाल की सामाजिक-राजनीतिक पैंतरेबाजी के समाधान का यह कानूनी सबक स्थायी भी हो, यह जरूरी नहीं।

'संत' रामपाल की कानून के मुकाबले में दु:साहसी तेवरों की सुरक्षा मोर्चेबंदी को देखकर आज शायद ही लगे कि यह वही व्यक्ति है जो अतीत में एक दिन कानून की बांह पकड़े अपनी असुरक्षा में थरथराता खड़ा था। नवम्बर 2014 में वह बरवाला, हिसार, सतलोक आश्रम से पुलिस के निकाले नहीं निकल रहा था, जबकि जुलाई 2006 में वह करोंथा, रोहतक, सतलोक आश्रम से पुलिस के आसरे बचकर निकल जाने की व्यग्रता से भरा हुआ था। तब का रामपाल-प्रसंग महज कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती था, अब वह समूची न्याय-व्यवस्था के लिए पहेली सिद्ध हो रहा है।

कानून को ठेंगा दिखानेवाले इस शख्स को पूर्व में कानून से ही सुरक्षा और राहत दोनों मिल चुकी हैं। शुरुआत में रामपाल का मुख्यालय करोंथा में होता था। खाप मूल्य-मान्यता की जकड़नवाले इलाके में रामपाल के 'उन्मुक्त' जीवन-शैली के आश्रम का आस-पास के गांववालों से स्वाभाविक तनाव का रिश्ता अर्से से चला आ रहा था। 2006 में इस 'कबीरपंथी' आश्रम का कई दिनों का हिंसक घेराव उसी की परिणति थी। न केवल रामपाल और उसके हथियारबंद अंगरक्षक आर्यसमाजियों के उग्र निशाने पर आश्रम में बंद और घिरे हुए थे, उसके तकरीबन चार हजार अनुयायी भी, मुख्यत: स्त्रियाँ और बच्चे, जो मासिक सत्संग के लिए वहां इकठ्ठा थे, फंसे थे।

उस दौरान आश्रम को घेरकर बार-बार आक्रामक पत्थरबाजी तो हुयी ही, कई बार हिंसक भीड़ ने अन्दर घुसने की कोशिश भी की। ऐसी ही एक कोशिश को विफल करने में आश्रम के अन्दर से गोलियां चलायी गयीं और बाहर एक व्यक्ति की मौत हो गयी, कुछ घायल भी हुए। मौके पर पहुंचे डिवीजन के कमिश्नर और रोहतक जिले के पुलिस अधीक्षक भी पुलिस दल के साथ वहीं घेर लिए गए। चारों ओर मीलों तक स्थानीय घेरेबंदी इतनी विकट और उग्र हो गयी थी कि मौके पर नयी पुलिस टुकड़ियां भेज पाना संभव नहीं बन पा रहा था। इलाके की खापें गोलबंद हो रही थीं और पुख्ता सूचना थी कि यदि रातों-रात रामपाल और अनुयायियों को सुरक्षित न निकाला गया तो अगले दिन आश्रम पर बड़े जानलेवा हमले का आह्वान है।

शाम तक रोहतक शहर के दक्षिण-पश्चिमी छोर की झज्जर चुंगी पर, करोंथा से करीब दस किलोमीटर दूर, पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त पुलिस बल इकट्ठा हुआ और एक कंपनी केन्द्रीय रिजर्व बल की भी शामिल की गयी। इस अभियान को सिरे चढ़ाने के लिए मुझे उसी शाम मधुबन, करनाल से भेजा गया था। तकरीबन आठ माह पूर्व ही मैं रोहतक रेंज के आइ जी की तैनाती से पदोन्नत होकर निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन बना था। पिछले दस वर्षों के दौरान भी, मैं रोहतक में एक बार बतौर डी आइ जी रेंज और दो बार बतौर जिला एस पी तैनात रह चुका था। मुझे विश्वास था कि लोग मुझे जानते हैं, और रामपाल विरोधियों से बातचीत में सहयोग के लिए मैंने एक प्रमुख खाप के वरिष्ठ पदाधिकारी व चंद स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को भी अभियान में चलने के लिए राजी कर लिया। उस अंधेरी रात के चार घंटे के करोंथा तक के बेहद धीमे सफर में हमने दसियों हजार उत्तेजित लोगों से इतनी गालियाँ झेलीं जितनी मैंने पुलिस जीवन के अपने पैंतीस वर्षों में कुल मिलाकर भी नहीं सुनी होंगी।

इस विस्तार में इस लिए जा रहा हूँ कि उस सामाजिक वैमनस्य और सामुदायिक अविश्वास की खिचड़ी की एक झलक पेश कर सकूं जो इलाके की ताकतवर खापों और रामपाल जैसे आश्रमों के बीच पकती रही है और जिसका स्वाद निहित राजनीतिक स्वार्थों को चुनावी फायदे के रूप में रास आता रहा है। करोंथा तक सारे रास्ते में जगह-जगह पेड़ काटकर और सड़क तोड़कर रुकावटें खड़ी की गयी थीं। हर रुकावट पर सैकड़ों व्यक्ति, बहुत से शराब में धुत्त, लाठियों और धारदार जेलियों के साथ पुलिस का रास्ता रोके खड़े थे। साथ ही, सड़क के दोनों ओर, आवेश से भरे, हम पर पत्थर चलाते गांववालों के झुण्ड के बाद झुण्ड मिलते गए। गनीमत है, जन-विरोध की भरपूर परम्परावाले इन इलाकों में ऐसे अवसरों पर बंदूकों का प्रचलन नहीं है। बंदूकें, एक दिन पहले, बेशक आत्मरक्षा के नाम पर, रामपाल आश्रम से उसकी निजी सेना ने ही चलायी थीं।

पहले अवरोधक पर ही स्पष्ट हो गया कि हमारे साथवाले स्थानीय सहयोगियों को कोई सुनने को तैयार नहीं था। साहस कर वे आगे गए पर भीड़ ने उन्हें गालियों और धक्कों से किनारे कर दिया। अंतत: बार-बार लाठियां चलाकर ही हम तमाम अवरोधकों को एक-एक कर पार कर सके। और क्योंकि पत्थर फेंकनेवाले खुले मैदान में थे, लगे हाथ उन्हें भी यथासंभव दूर खदेड़कर तितर-बितर किया जा सका। हम अपने साथ बीसियों खाली बसें ले गए थे। स्वाभाविक था कि हमारे पहुँचने पर रामपाल समेत आश्रम में घिरे तमाम अनुयायी, जिनमें स्त्रियों-बच्चों की बड़ी संख्या थी, उन बसों में तुरंत निकल भागने को आतुर मिले। वापसी में आश्रम में मौजूद उनकी अपनी कारें, ट्रैक्टर, मोटर साइकलें भी पुलिस सुरक्षा काफिले का हिस्सा बन गयीं।

आश्रम से लाइसेंसी/अवैध बंदूकों और पंथी साहित्य के आलावा तमाम अन्य अवांछित सामग्री भी मिली जिसका जिक्र आज के तनाव-भरे अवसर पर करना संगत नहीं होगा। हां तब तक इस बार बरवाला की तरह एसिड का इस्तेमाल करना रामपाल गिरोह ने शुरू नहीं किया था। रामपाल जैसे नामदान ब्रांड 'संत' के भक्त समुदाय के किसी भी जमावड़े में स्त्रियों और बच्चों की बड़ी संख्या में उपस्थिति एक सामान्य बात है। दरअसल, स्त्रियाँ ही इस ब्रांड की आध्यात्मिक सत्ता का मूल स्रोत हैं और बच्चे माओं के साथ नत्थी रहते हैं। इस क्षेत्र में प्रचलित राधास्वामी, ब्रह्मकुमारी, राम रहीम जैसे बड़े पंथों के नाम चर्चा-घरों में भी इसी रुझान को देखा जा सकता है। आध्यात्मिकता के नाम पर बेहद सतही बात करनेवाले रामपालों की सामाजिक अपील के आधार को समझने के लिए ग्रामीण स्त्रियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी के इस चलन को समझना जरूरी है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के गावों में शराब और ड्रग्स की व्यापक मार इन स्त्रियों को ही झेलनी पड़ती है। परिवार के आर्थिक पतन के अलावा नशेबाज मर्दों के हाथों उनकी नियति से जुड़ा नियमित शारीरिक उत्पीड़न उन्हें घोर अवसादित रखता है। इस हताशा में नाम-चर्चा के समागम मनोवैज्ञानिक राहत देनेवाले क्लब सिद्ध होते हैं, जहां दीक्षा की पहली शर्त ही है- नशे का बहिष्कार।

ग्रामीण अनुयायियों के लिए इन सामाजिक-सांस्कृतिक क्लबों की सदस्यता निभाना भी आसान होता है, क्योंकि 'सदस्यता शुल्क' उपज के रूप में और शारीरिक श्रम से चुकता है। समागम, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/वार्षिक होते रहते हैं और एक दिन, दो-तीन दिन या कभी और अधिक दिनों तक भी चलते हैं। नशेबाज पति की पिटाई से मुक्त उस ग्रामीण स्त्री की राहत की कल्पना कीजिये जो इन समागमों में रोज के पशु-पानी-चूल्हे-खेत के हाड़ तोड़ रूटीन से भी निजात पा जाती है। क्या वह इस 'पिकनिक' की प्रतीक्षा नहीं करेगी? उन युवा होते लड़के-लड़कियों के नजरिये से इन 'क्लबों' को देखिये जो अपने गावों की दमघोंटू खाप नैतिकता के समांतर एक स्वतंत्र वातावरण में मेल मुलाकात का अवसर पाते हैं। एक बार परिवार की स्त्री इस समागम से जुड़ गयी तो वह सारे परिवार को वहाँ खींच कर लाती रहती है।

खापों के उग्र रामपाल विरोध की यही जमीन है। अन्यथा उनका भी विश्वास उस कानून के शासन में नहीं, जिसे वे रामपाल पर लागू होते देख मीडिया और पुलिस की जयकार कर रहे हैं, बल्कि नृशंस 'इज्जत' हत्याओं में है। यह भी समझना होगा कि अनुयायियों में नशे का बहिष्कार रामपालों की अपना प्रभावक्षेत्र बढ़ाने की रणनीति होती है, न कि उनका सामाजिक दर्शन। वे कभी भी जन-विरोधी सरकारी आबकारी नीतियों का विरोध नहीं करेंगे और न कभी राजनीतिकों के संरक्षण में चलते ड्रग कारोबार पर उंगली भी उठाएंगे। आध्यात्मिकता के आवरण में यह सिर्फ उनके और अनुयायी के बीच का मामला बना रहेगा।

अब यह भी साफ है कि पंथी आक्रामकता और राजनीतिक तेवरों के प्रदर्शन में रामपाल ने राम रहीम का चुनावी सौदेबाजी का ही रास्ता पकड़ा हुआ है। संयोग से नवंबर 2014 में रामपाल और राम रहीम एक साथ सुर्ख़ियों में भी हैं। एक ओर राज्य की सारी कानून-व्यवस्था मशीनरी हिसार के सतलोक आश्रम में हजारों भक्तों के सुरक्षा घेरे से 'संत' रामपाल को धर पकड़ने की घेरेबंदी में लगी रही, तो पड़ोस के ही शहर सिरसा में सत्तारूढ़ भाजपा के नवनिर्वाचित सैंतालीस में से पैंतीस विधायक, ज्यादा बड़े 'संत' राम रहीम के चरणों में चुनावी समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापन अदा कर रहे थे। रामपाल और राम रहीम दोनों के विरुद्ध हत्या, जालसाजी जैसे जघन्य आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। क्या इसे विसंगति कहा जाय कि दोनों ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर हैं। जिस खुले अंदाज में रामपाल आज उच्च न्यायालय के लिए चुनौती पेश कर रहा है, राम रहीम वर्षों पहले कर चुका है। इन वर्षों में रामपाल भी अपना कद बड़ा करते हुए राम रहीम बनने की राह पर नहीं है? यह सवाल भी इतना असंगत नहीं होगा कि क्या राम रहीम प्रभुता के भस्मासुरी भिन्डरांवाले मुकाम को नहीं छू रहा है? फिलहाल भाजपाई रणनीति में वह महात्वाकांक्षी रामदेव का स्थानापन्न तो बना ही दिया गया है। क्या रामपाल की कहानी में पूर्णविराम आ चुका है? 2006 में रामपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सी बी आइ जांच की उसकी मांग छह वर्षों से उच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसले के बावजूद रामपाल समर्थक आठ वर्ष पूर्व खोया करोंथा आश्रम वापस नहीं ले सके हैं। 2014 में रामपाल पर देश-द्रोह का मुकदमा बना है पर उसके समर्थकों का सवाल हवा में रह गया कि उसे अदालती अवहेलना की जरूरत ही क्यों पड़ी? उच्च न्यायालय ने उसे आश्रम से 'स्मोक आउट' करने की चेतावनी दी थी; पुलिस ने यह स्वीकारते हुए भी कि अंदर हजारों निर्दोष नागरिक भी हैं आश्रम पर आंसू गैस से हमला किया और वहां की बिजली-पानी बंद कर दी। क्या रामपाल प्रकरण, जो धार्मिक और राजनीतिक पाखंड को शिद्दत से संदर्भित करता है, देश की कानून-व्यवस्था और न्याय-व्यवस्था के सामने भी जरूरी सवाल नहीं खड़े करता?

- विकास नारायण राय